

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

प्रदेश के ग्रामीण भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों के लिए 'आम आदमी बीमा योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से 5.00 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर राशि रूपये 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत नियोजित मजदूरों के कार्य के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप ईलाज पर राशि रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 3

विकास आयुक्त कार्यालय के शासकीय वाहन की विशेष मरम्मत/अनुरक्षण पर रूपये 1.39 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 से 12

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु मशीन उपकरण सहित मोबाईल वैन क्रय के लिये रूपये 168.00 लाख एवं आवश्यक पद संरचना पर इस वर्ष राशि रूपये 32.00 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	कार्यपालन अभियंता	10000-15200	01
2	सहायक अभियंता	8000-13500	13
3	उप अभियंता	5000-8000	26
4	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3500-5200	19
5	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर	26
6	भृत्य /चौकीदार	कलेक्टर दर पर	55
		योग-	140

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय के लिए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अमले एवं विभागीय अमले से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण हेतु स्वीकृत पदों में कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी मद में राशि रूपये 0.25 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 14

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़कों के संधारण/रखरखाव पर रूपये 2000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कबीरधाम जिले में सी.सी. रोड कार्य पर अतिरिक्त राशि रूपये 99.57 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 99,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।